

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14440/2023

वीरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री धनबहादुर , उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 1, हाहावाला , सांगानेर , जिला जयपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसके प्रबंध निदेशक चोमू हाउस, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. अपीलीय प्राधिकारी सह कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य मुख्यालय जयपुर, सड़क परिवहन निगम,
3. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटपूतली डिपो, जिला कोटपूतली राजस्थान।

----प्रतिवादी

से जुड़े

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7822/2023

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), आरएसआरटीसी, मुख्यालय, जयपुर।
3. प्राधिकृत अपीलीय प्राधिकारी, आरएसआरटीसी, मुख्यालय, जयपुर ।
3. मुख्य प्रबंधक, आरएसआरटीसी, करौली , डिपो।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रतिभान शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बाजना , तहसील- सपोटरा , जिला- करौली (राज.)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8018/2023

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसके प्रबंध निदेशक, चोमू हाउस, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. अपीलीय प्राधिकारी सह कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान राज्य मुख्यालय, जयपुर, सड़क परिवहन निगम
3. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कोटपूतली डिपो, कोटपूतली, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. धनबहादुर , उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 1 हाह्यावाला , सांगानेर , जिला जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8090/2023

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
2. जोन प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर जोन, अजमेर।
3. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर डिपो, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री मोहनदास बैरागी पुत्र स्वर्गीय श्री बजरंगदास , उम्र लगभग 50 वर्ष, शि भोला के माध्यम से नाथ आचार्य उपाध्यक्ष राज्य राजस्थान परिवहन निगम, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, अजमेर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 709/2024

राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रतिभान शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बाजना , तहसील सपोटरा , जिला करौली (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
2. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), आरएसआरटीसी, मुख्यालय, जयपुर।
3. प्राधिकृत अपीलीय प्राधिकारी, आरएसआरटीसी, मुख्यालय, जयपुर ।
4. मुख्य प्रबंधक, आरएसआरटीसी, करौली डिपो।

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुमित कुमार जैन
श्री जीएल शर्मा
श्री अंकुल गुप्ता
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री आरएन माथुर (वरिष्ठ अधिवक्ता)
श्री अनुभव जैन के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

आरक्षित तिथि : 18/07/2024

उच्चारण तिथि : 31/08/2024

प्रकाशनीय

1. चूंकि रिट याचिकाओं के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए, पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, इन सभी मामलों को अंतिम निपटान के लिए एक साथ लिया जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।

2. लोक द्वारा पारित 12.11.2022 के पुरस्कारों के खिलाफ एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7822/2023, 8018/2023, 8090/2023 दायर की गई हैं। अदालत और एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14440/2023 और 709/2024 सहित अन्य दो रिट याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित उक्त पुरस्कारों के कार्यान्वयन के लिए दायर की गई हैं। अदालत

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर, श्री अनुभव जैन की सहायता से, प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने निगम की सहमति के बिना ही आरएसआरटीसी के विरुद्ध विवादित निर्णय पारित कर दिया। वकील का तर्क है कि मामले को लोक अदालत को भेज दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए अदालत का आयोजन किया गया। वकील ने दलील दी कि श्री आर.ए. कट्टा और श्री आर.एन. बैरवा निगम की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत वकील थे, जिन्हें वकालतनामा /शक्ति प्रदान की गई थी। वकील ने दलील दी कि जब राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा मामले को उठाया गया था, अदालत में इनमें से कोई भी वकील मौजूद नहीं था, हालांकि श्री आर.ए. कट्टा की उपस्थिति का उल्लेख पंचाटों में किया गया था। समझौते पर श्री ओम प्रकाश श्योराण ने हस्ताक्षर किए थे, हालांकि वे निगम के पैनल वकील थे, लेकिन उन्हें निगम की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार

नहीं था। वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने निगम और उसके कर्मचारियों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे के संबंध में निगम द्वारा बनाई गई नीति के विपरीत आदेश पारित किया है। वकील का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित विवादित निर्णय अदालतें कानूनी रूप से कानून की नज़र में टिकने लायक नहीं हैं।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि आरएसआरटीसी द्वारा अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया गया है, जिसमें श्री ओम प्रकाश श्योराण स्थायी अधिवक्ताओं में से एक हैं, जो आमतौर पर निगम की ओर से पेश होते हैं। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थायी पैनल अधिवक्ता के रूप में, उन्होंने निगम की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः, इन परिस्थितियों में, निगम पक्षों के बीच हुए समझौते और राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों से बाध्य है। अदालत वैध है और कानून की नज़र में भी टिकने लायक है, इसलिए इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। वकील का तर्क है कि आरएसआरटीसी के अधिकृत पैनल वकील द्वारा इन पुरस्कारों पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे और आरएसआरटीसी इन्हें लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसलिए, आरएसआरटीसी को इन पुरस्कारों को अक्षरशः लागू करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएँ।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. इन सभी रिट याचिकाओं में शामिल विवाद को देखते हुए, यह न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित 12.11.2022 के पुरस्कार को चुनौती देते हुए प्रतिवादी कर्मचारी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आरएसआरटीसी द्वारा दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8018/2023 में शामिल तथ्यों पर विचार करना उचित और उचित समझता है। अदालत जिसके द्वारा बिना किसी बकाया वेतन के सेवा में निरंतरता के साथ कामगार की बहाली का आदेश पारित किया गया है।

7. वीरेंद्र सिंह के मामले के तथ्य यह हैं कि उसे 21.08.2013 को अनुकंपा के आधार पर परिवीक्षा पर दो वर्ष की अवधि के लिए कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उसकी सेवाएं 26.12.2014 के आदेश द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दी गईं कि उसकी बस के निरीक्षण के समय कुछ यात्री बिना टिकट के यात्रा करते पाए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि

श्रमिक द्वारा यात्रियों से टिकटों के लिए अपेक्षित राशि वसूल की गई थी। दिनांक 26.12.2014 के अपने समाप्ति आदेश से व्यथित होकर, उन्होंने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10405/2016 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2018 के आदेश के तहत संबंधित श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, "1947 का अधिनियम") के तहत विवाद उठाने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया।

8. 19.09.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1021/2019 दायर की और इसे निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ 09.09.2020 को अनुमति दी गई:

"अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की है। वास्तव में, सेवा समाप्ति आदेश प्रकृति में कलंकपूर्ण था क्योंकि यह कहा गया है कि अपीलकर्ता की ईमानदारी संदिग्ध थी। इसी तरह की परिस्थितियों में, एक समान स्थिति वाली कर्मचारी सुनीता द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। सुनीता द्वारा दायर एक अपील (डीबी विशेष अपील रिट संख्या 812/2017) में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने 24.10.2017 के आदेश द्वारा अपील को अनुमति दी थी। उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27.09.2019 के आदेश द्वारा बरकरार रखा था।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा डीबी विशेष अपील रिट संख्या 812/2017 में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसे बरकरार रखा गया है। डीबी विशेष अपील रिट संख्या 812/2017 में पारित दिनांक 24.10.2017 का आदेश इस प्रकार है:

"1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. दिनांक 03/04/2017 के आक्षेपित आदेश के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को इस तर्क के आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अपीलकर्ता के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत औद्योगिक विवाद उठाने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है।

3. अपीलकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश, जबकि वह परिवीक्षा पर था, स्पष्ट रूप से कलंकित करने वाला है क्योंकि इसमें यह अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है कि अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी। 2008 डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 485, राम गुर्जर बनाम आरएसआरटीसी के रूप

में प्रस्तुत निर्णय में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के मद्देनजर, जहाँ सेवा समाप्ति कलंकित करने वाली थी और केवल इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि एक वैकल्पिक उपाय मौजूद था, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं था।

4. हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो निर्देश जारी किए जाने अपेक्षित थे, वे वही थे जो इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्देशित किए गए थे।

5. हम अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के दिनांक 29/06/2015 के आदेश को रद्द करते हुए अपील का निपटारा करते हैं। अपीलकर्ता को आज से 30 दिनों के भीतर बहाल कर दिया जाएगा। उसे कोई भी बकाया वेतन नहीं मिलेगा। प्रतिवादियों को अपीलकर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक जाँच करने की अनुमति दी जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील अनुमति (सी) संख्या 4894/2018 (आईए संख्या 137225/2018) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 निम्नानुसार है:

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया

हमने हिंदी में लिखे मूल कार्यालय आदेश का अध्ययन किया है, जिसमें दोहरे नकारात्मक का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।

इस प्रकार, आक्षेपित आदेश की प्रकृति कलंकपूर्ण होने के कारण, इसे परिवीक्षा के दौरान सेवा जारी न रखने का एक साधारण मामला नहीं माना जा सकता। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

लंबित आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।”

उपरोक्त आदेशों के मद्देनजर, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने वाला दिनांक 26.12.2014 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को आज से 30 दिनों के भीतर सेवा में बहाल किया जाएगा। अपीलकर्ता किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा। प्रतिवादियों को, यदि सलाह दी जाए, तो अपीलकर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक जाँच करने की अनुमति दी जाती है।

9. उपरोक्त आदेश डिब्रीजन बेंच द्वारा आरएसआरटीसी के वकील द्वारा दिए गए उचित रियायत के आधार पर पारित किया गया था कि प्रतिवादी-कर्मचारी के मामले में शामिल विवाद डीबी सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 812/2017 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के

फैसले द्वारा कवर किया गया था और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। डिवीजन बेंच का विचार था कि कर्मचारी का समाप्ति आदेश कलंकित था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी द्वारा दी गई रियायत के आधार पर, कर्मचारी द्वारा दायर विशेष अपील की अनुमति दी गई और 26.12.2014 के उसके समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया। आरएसआरटीसी को बिना किसी पिछले वेतन के कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी को सलाह दिए जाने पर कर्मचारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक जांच करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

10. चूंकि, याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 09.09.2020 के आदेश से संतुष्ट नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी ने डिवीजन बेंच के समक्ष डीबी सिविल समीक्षा याचिका संख्या 154/2020 दायर की और दोनों पक्षों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर, मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत को भेज दिया गया। उनके बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए अदालत का गठन किया गया है।

11. मामला राष्ट्रीय लोक सभा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 12.11.2022 को अदालत में सुनवाई हुई और आरएसआरटीसी कार्यालय आदेश/नीति दिनांक 27.10.2022 के आधार पर निम्नलिखित विवादित निर्णय पारित किया गया:

"यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 09.09.2020 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने कुछ आधारों पर आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, आज परामर्श के बाद, वे RSRTC द्वारा तैयार दिनांक 27.10.2022 की नीति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए हैं:

(1) याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह को तत्काल बहाल किया जाएगा। हालांकि, उन्हें सेवामुक्ति की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का बकाया नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह इस बात से सहमत हैं कि वे अपनी बहाली की तिथि तक किसी भी प्रकार के बकाया का दावा नहीं करेंगे।

(2) तक की अवधि को निरंतर सेवा माना जाएगा तथा इसकी गणना पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

(3) याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह को उसी स्तर पर बहाल किया जाएगा जिस पर वह 26.12.2014 को कार्यरत थे अर्थात् जिस स्तर पर उन्हें बर्खास्त किया गया था

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह इस पुनर्विचार याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तदनुसार, यह पुनर्विचार याचिका वापस ली जाती है।

पुनर्विचार याचिका पर उपर्युक्त अनुसार निर्णय लिया जाता है। यदि अभिलेख प्राप्त हो तो उसे निचली ट्रिब्यूनल/न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

12. याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी ने दिनांक 12.11.2022 के विवादित निर्णय को इस तकनीकी आधार पर चुनौती दी है कि उक्त निर्णय आरएसआरटीसी के अधिवक्ता श्री आरए कट्टा और श्री आरएन बैरवा की अनुपस्थिति में पारित किया गया था और निपटान निर्णय पर अन्य अधिवक्ता श्री ओपी श्योराण के हस्ताक्षर हैं, इसलिए उक्त निर्णय आरएसआरटीसी पर बाध्यकारी नहीं है। केवल इसी तकनीकी आधार पर, आरएसआरटीसी ने ये याचिकाएँ दायर करके संबंधित निर्णयों को चुनौती दी है।

13. विचाराधीन आरोपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इसे आरएसआरटीसी कार्यालय आदेश/नीति निर्णय दिनांक 27.10.2022 के अनुसार पारित किया गया था जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि कोई कर्मचारी पिछला वेतन छोड़ देता है तो उसे सेवा में वापस बहाल किया जा सकता है। आरोपित निर्णय आरएसआरटीसी के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में पारित किया गया था और उस पर आरएसआरटीसी के स्थायी वकील अर्थात् श्री ओपी श्योराण ने हस्ताक्षर किए थे। इस न्यायालय ने इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया है कि श्री ओपी श्योराण आरएसआरटीसी के स्थायी वकीलों में से एक हैं और वह इस न्यायालय के समक्ष आरएसआरटीसी के कई मामलों में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं रखा है जिससे पता चले कि क्या आरएसआरटीसी ने उक्त वकील से कोई स्पष्टीकरण लिया है कि उन्होंने आरएसआरटीसी के किसी निर्देश के बिना निपटान पुरस्कारों पर हस्ताक्षर क्यों किए यह तथ्य स्वयं दर्शाता है कि आरएसआरटीसी ने ऐसी झूठी दलील देकर वैध समझौते से बचने का प्रयास किया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14. नवंबर, 2022 में ही कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए गए थे। हालाँकि, कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि आरएसआरटीसी ने उपरोक्त तकनीकी कारणों से निर्णय को चुनौती दी है। ये निर्णय 27.10.2022 के कार्यालय आदेश और आरएसआरटीसी के स्थायी वकील द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पारित किए गए हैं। ऐसे सहमति निर्णय आरएसआरटीसी के विरुद्ध विबंधन के रूप में कार्य करते हैं और ये पक्षकारों पर बाध्यकारी होते

हैं, जिससे आरएसआरटीसी यह तर्क देकर बच नहीं सकता कि उसके वकील को ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं था।

15. अतः ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी को राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत, केवल इस तकनीकी आधार पर, जब तक कि यह रिकॉर्ड पर स्थापित न हो जाए कि याचिकाकर्ता-आरएसआरटीसी के साथ कोई धोखाधड़ी या शरारत की गई है।

16. विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए अनिवार्य है। शांति विकास के लिए अनिवार्य है। विवाद और संघर्ष समाज का बहुमूल्य समय, प्रयास और धन नष्ट करते हैं। यदि कोई विवाद सिर उठाता है, तो उसे शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए।

17. लोक अदालत की अवधारणा अपनाई गई। अदालत चित्र में लाया गया। 'लोक' अदालत 'प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय-प्रणाली का एक प्राचीन रूप है, और यह पारंपरिक भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन का हिस्सा थी। 'लोक अदालत' प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय-प्रणाली का एक प्राचीन रूप है, और यह पारंपरिक भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन का एक हिस्सा थी। 'अदालत' का अर्थ है "जनता की अदालत"। 'लोक' का अर्थ है "लोग" और 'अदालत' शब्द का अर्थ है "न्यायालय"। लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में, "1987 का अधिनियम") के तहत स्थापित वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का लागत-प्रभावी, समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना, न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। अदालत एक ऐसा तरीका है जहाँ दोनों पक्ष जीतते हैं और कोई भी हारता नहीं है।

18. 1987 के अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, लोक द्वारा पारित प्रत्येक पंचाट अदालत को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाएगा और यह अंतिम होगा तथा विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

19. लोक सभा द्वारा पारित पंचाट की अंतिमता के संबंध में, 1987 के अधिनियम की धारा 21 के अनिवार्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवासप्पा एवं अन्य बनाम एम. मल्लम्मा एवं अन्य (सिविल अपील संख्या **3486-3488/2022**) मामले

में, जो **2022** एससीसी ऑनलाइन एससी **636** में रिपोर्ट किया गया है, पैरा 32 से 34 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“32. सर्वप्रथम, हम यह देखते हैं कि लोक सेवा आयोग के आदेश को रद्द करते समय उच्च न्यायालय के निर्णय में हमें कोई कारण नहीं मिलता है। 7 जुलाई, 2012 की अदालत में समझौते की शर्तें दर्ज की गईं। दर्ज किए गए समझौते को वापस लेने के लिए ठोस कारण चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि समझौता अंततः न्यायालय के आदेश में परिणत होता है जिसे किसी मामले के निर्णय पर पारित आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। यह बात लोक अदालत के समक्ष दर्ज समझौते के मामले में भी लागू होती है। अदालत। इस संबंध में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 का संदर्भ लेना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार उद्धृत है :

“21. लोकायुक्त का पुरस्कार अदालत.-- (1) लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट अदालत को , यथास्थिति, सिविल न्यायालय का आदेश या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जहां समझौता या निपटारा हो गया हो, वहां लोक अदालत द्वारा ऐसा आदेश दिया जाएगा। धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को सौंपे गए मामले में, ऐसे मामले में भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के तहत प्रदान की गई रीति से वापस किया जाएगा।

(2) लोक द्वारा दिया गया प्रत्येक पुरस्कार अदालत का निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा, तथा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।”

33. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 लोक सेवा आयोग के निर्णय को विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्णय के समतुल्य बनाती है। अदालत, सिविल न्यायालय के आदेश पर लागू होती है और लोक द्वारा पारित समझौते के निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करती है। अदालत जब लोक अदालत , समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद, किसी मुकदमे के पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करती है, लोक अदालत का ऐसा प्रत्येक निर्णय अदालत को सिविल न्यायालय का आदेश माना जाएगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के निर्णय में अंतिमता का तत्व निहित है , इसलिए अदालत में , यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि इस तरह के पुरस्कार के खिलाफ सिविल प्रक्रिया

संहिता की धारा 96 के तहत कोई अपील नहीं होगी, पी.टी. थॉमस बनाम थॉमस
जॉब **[(2005) 6 एससीसी 478]**।

34. जबकि हम मानते हैं कि लोक अदालत के किसी निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका स्वीकार्य होगी अदालत , विशेषकर जब ऐसी रिट याचिका दायर की गई हो जिसमें समझौते का पुरस्कार प्राप्त करने के तरीके में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया हो, तो रिट कोर्ट, बिना किसी तर्क के, लोक अदालत के आदेश को आकस्मिक रूप से रद्द नहीं कर सकता है। अदालत । लोकायुक्त का निर्णय अदालत के फैसले को तब तक पलटा या रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें दर्ज तथ्यों को खारिज न कर दिया जाए क्योंकि वह कपटपूर्ण है।"

20. लोक द्वारा पारित पुरस्कार अदालत अंतिम होगी और उसे रिट न्यायालय में सामान्य रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती , जब तक कि किसी पक्ष के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप न हो। किसी निर्णय को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब वह अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया हो या न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके या प्रतिरूपण करके प्राप्त किया गया हो।

21. लोक द्वारा पारित पुरस्कार अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं या प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा छद्मवेश धारण करके या अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किए गए हैं। ये निर्णय आरएसआरटीसी के दिनांक 27.10.2022 के कार्यालय आदेश/नीति के आधार पर पारित किए गए हैं। मुकदमे के पक्षकारों ने लोक अदालत के समक्ष सहमति व्यक्त की। आरएसआरटीसी की उपरोक्त नीति के आलोक में विवाद का निपटारा करने के लिए अदालत का आयोजन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व वेतन के सेवा में वापस लिया जाएगा । दिनांक 12.11.2022 के निर्णय पारित करते समय कर्मचारियों द्वारा आरएसआरटीसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है । अतः, आरएसआरटीसी को कोई भी विपरीत कार्रवाई करने से रोक दिया गया है और वह विवादित निर्णयों से बंधा हुआ है तथा उन्हें लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

22. पीटी थॉमस बनाम थॉमस जॉब के मामले में **(2005) 6 एससीसी 478** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायालय का प्रयास लोक द्वारा पारित पुरस्कार को प्रवर्तनीयता प्रदान करना होना चाहिए। अदालत और तकनीकी आधार पर उसे पराजित न करना।

23. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यायालय को राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कारों के खिलाफ आरएसआरटीसी द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कोई योग्यता और सार नहीं लगता है। अदालत, इसलिए, वे खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है।
24. लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कारों के कार्यान्वयन के लिए श्रमिकों द्वारा दायर रिट याचिकाएँ अदालत, अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी-आरएसआरटीसी को निर्देश दिया जाता है कि वह श्रमिकों के पक्ष में पारित निर्णयों को बिना किसी और देरी के, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर लागू करे।
25. यदि आरएसआरटीसी द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो श्रमिक आरएसआरटीसी से 50,000/- रुपये प्रति श्रमिक का मुआवजा पाने के हकदार होंगे।
26. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, सभी रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।
27. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा हो जाएगा।
28. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

आयुष शर्मा/490-494

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी

